

# METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके उतावलेपन से वाहन चलाने के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा को अभियुक्त द्वारा वाहन से टक्कर मारकर घायल कर देने पर मु0अ0सं0-822/2014 धारा 279/427 भादवि थाना अमेठी पर पंजीकृत कराया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय एसीजेएम-04 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 06.04.2024 को **न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदण्ड** की सजा सुनायी गयी । अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा ।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को **न्यायालय उठने तक की सजा** ।
- अभियुक्त को **1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ **राजकुमार जयसवाल पुत्र रामराज निवासी सखनपुर थाना व जनपद अमेठी ।**



एपीओ श्री अंजनी  
नन्दन पाण्डेय



पैरोकार का0  
जंगबहादुर यादव



@amethipolice



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल अमेठी



#Amethipolice



Amethipolice